

दिनांक 22.02.2014 को निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा),  
उ0प्र0 की अध्यक्षता में सूडा / झूडा के माध्यम से संचालित योजनाओं की  
मासिक समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

- बैठक की समीक्षा सूडा के पत्रांक—3566/110/तीन/97-VI, दिनांक 13.02.2014 द्वारा निर्गत एजेण्डा के अनुसार बिन्दुवार समीक्षा की गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि योजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट माह की 03 तारीख तक प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- बी0एस0यू0पी0/आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित 50 कॉलम के प्रारूप, जो सूडा के पत्रांक—1970/69/पन्द्रह/आईएचएसडीपी/बीएसयूपी/सरे—111, दिनांक 27.09.2013 के द्वारा संबंधित जनपदों को प्रेषित की गयी थी एवं उक्त प्रपत्र सूडा की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, के प्रारूप की सूचना प्रत्येक माह की 03 तारीख तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश हैं। समीक्षा में पाया गया कि माह दिसम्बर, 2013 की उक्त प्रारूप पर आख्या निम्न जनपदों से अभी अप्राप्त है—

#### आई0एच0एस0डी0पी0

- जनपद—अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, बागपत, बलरामपुर, बस्ती, अमेठी, कानपुर नगर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, रायबरेली, सीतापुर, सोनभद्र, भदोही, इलाहाबाद, विजनौर, चन्दौली, गोरखपुर, हरदोई, झांसी, अमरोहा, कानपुर देहात, कौशाम्बी, ललितपुर, मऊ, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत एवं शामली।
- जनपद—कानपुर नगर, मथुरा, मेरठ, आगरा एवं इलाहाबाद।

उक्त जनपदों को कड़े निर्देश दिये गये कि दिनांक 26.02.2014 तक सूचना प्रेषित की जायें व भविष्य में प्रत्येक माह की निर्धारित तिथि को सूचना प्रेषित की जाये अन्यथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

- परियोजना अधिकारी अमेठी द्वारा अवगत कराया गया कि मुसाफिरखाना परियोजनान्तर्गत निर्माण कार्य गुणवत्तापरक न होने एवं अनियमितताओं के दृष्टिगत एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी है। परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि संबंधित पत्रावली संयुक्त निदेशक के माध्यम से तत्काल प्रस्तुत की जाय।

#### आई0एच0एस0डी0पी0/बी0एस0यू0पी0 के अंतर्गत मूल्य वृद्धि

- योजना के अंतर्गत मूल्य वृद्धि के संबंध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में विगत 24.07.2013 को लिये गये निर्णय के अनुपालन में मूल्य वृद्धि की पुनरीक्षित व अन्यपर्ण की डी0पी0आर0 नियमानुसार कार्यदायी संस्थाओं से तैयार कराकर सूडा को उपलब्ध कराये जाने हेतु सभी संबंधित जिला नगरीय विकास अभिकरणों को निर्देशित किया गया था। समीक्षा में पाया गया कि निम्न जनपदों द्वारा अभी तक निर्देशानुसार अन्यपर्ण/संशोधित डी0पी0आर0 सूडा को उपलब्ध नहीं करायी गयी है—

आई०एच०एस०डी०पी०

जनपद का नाम	निकाय का नाम	आवासों की संख्या	अभ्यपर्ण की डी०पी०आर०	संशोधित डी०पी०आर०	कार्यदायी संस्था का नाम
बस्ती	बस्ती	163	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०पी०सी०एल०
प्रतापगढ़	बेल्हा	676	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०पी०सी०एल०
प्रतापगढ़	अन्तू	579	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०पी०सी०एल०
प्रतापगढ़	कुण्डा	272	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०पी०सी०एल०
संतकबीरनगर	हरिहरपुर	252	अप्राप्त	—	यू०पी०पी०सी०एल०
गौतमबुद्ध नगर	दनकौर	48	अप्राप्त	अप्राप्त	झूडा
मथुरा	गोकुल	88	—	अप्राप्त	झूडा
मथुरा	महावन	72	—	अप्राप्त	झूडा
मथुरा	छाता	48	—	अप्राप्त	झूडा
मथुरा	राया	48	—	अप्राप्त	झूडा
मेरठ	खरखौदा	96	—	अप्राप्त	झूडा
अलीगढ़	आलमपुर	660	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
अलीगढ़	अलीगढ़ (इन्दिरा नगर)	650	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
अमेठी	मुराफिरखाना	539	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
अमेठी	परसदेपुर	1028	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
आजमगढ़	बिलिरियागंज	125	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
बलिया	बलिया	313	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
चित्रकूट	चित्रकूट	144	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
देवरिया	लार	1527	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
फैजाबाद	फैजाबाद	393	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
गोरखपुर	गोरखपुर	628	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
गोरखपुर	गोरखपुर	540	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
गाजीपुर	गाजीपुर	420	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
कन्नौज	सौरिख	144	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
कुशीनगर	पडरौना	912	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
लखीमपुर	सिंगही	108	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
मैनपुरी	किसनी	748	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
मैनपुरी	घिरौर	450	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
मथुरा	नंदगांव	224	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
मऊ	मऊ	479	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
मेरठ	हरितनापुर	176	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
मिर्जापुर	मिर्जापुर	853	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	256	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
पीलीभीत	न्यूरिया	886	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
रायबरेली	लालगंज	246	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
रायबरेली	बछरावां	284	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
रायबरेली	रायबरेली— ॥	1037	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
रायबरेली	रायबरेली— ॥॥	429	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
सीतापुर	सीतापुर	252	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
सोनगढ़	घोरावल	656	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०

सोनभद्र	दुदधी	451	अप्राप्त	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
उन्नाव	अकरमपुर	345	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
अमरोहा	अमरोहा	115	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
औरैया	विधूना	600	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
औरैया	बाबरपुर	180	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
बागपत	बागपत	208	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
चन्दौली	चन्दौली—।	263	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
चन्दौली	मुगलसरायं	168	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
चन्दौली	चन्दौली—॥	168	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
चन्दौली	चकिया	48	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
गौतमबुद्धनगर	दादरी	637	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
गौतमबुद्धनगर	जेवर	272	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	हस्तिनापुर	582	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	लावड़	359	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मुरादाबाद	उमरीकलां	306	अप्राप्त	—	यू०पी०आर०एन०एन०
रामपुर	रामपुर	462	अप्राप्त	—	यू०पी०आर०एन०एन०

बी०एस०यू०पी०				
शहर का नाम	आवासों की संख्या	अभ्यपर्ण की डी०पी०आर०	संशोधित डी०पी०आर०	कार्यदारी संस्था का नाम
इलाहाबाद	264	अप्राप्त	अप्राप्त	यू०पी०एस०के०एन०एन०
मथुरा	240	अप्राप्त	अप्राप्त	दूड़ा
वाराणसी	225	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
वाराणसी	192	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
वाराणसी	135	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
वाराणसी	124	—	अप्राप्त	सी० एण्ड डी०एस०
कानपुर नगर	416	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	887	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	871	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	854	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	793	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	726	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	704	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	753	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	816	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	343	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
कानपुर नगर	639	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
वाराणसी	1305	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
वाराणसी	728	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
वाराणसी	768	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
वाराणसी	776	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
वाराणसी	585	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
वाराणसी	1109	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	744	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०

मेरठ	677	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	655	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	768	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	629	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	723	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	694	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	731	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	500	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	632	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०
मेरठ	852	—	अप्राप्त	यू०पी०आर०एन०एन०

उक्त जनपदों एवं संबंधित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उक्त की सूचना अभी तक सूडा को न उपलब्ध कराये जाने पर रोष व्यक्त किया गया तथा उक्त सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि 28 फरवरी, 2014 तक समस्त सूचना प्रत्येक दशा में सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, विलम्ब के कारण मूल्यवृद्धि के लिए जनपद व संबंधित कार्यदायी संस्था उत्तरदायी होंगे एवं उत्तरदायी से मूल्यवृद्धि की धनराशि की वसूली की जायेगी।

(कार्यवाही संबंधित ढूड़ा/कार्यदायी संस्था)

### राजीव आवास योजना

- राजीव आवास योजना के अंतर्गत भारत सरकार के स्तर से जारी नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार योजना का लाभ प्रदेश के सभी जनपदों के शहरी निकायों में दिया जाना अनुमन्य किया गया है। इसके कम में नगरीय निकायों में मौजूद स्लम (नोटिफाइड/नॉननोटिफाइट) की सूची सूडा द्वारा जनपदों से मांगी गयी थी। समीक्षा में संज्ञान में आया कि निम्न जनपदों से अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है—

- जनपद—अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमरोह, बागपत, बलिया, बलरामपुर, बॉदा, बाराबंकी, बस्ती, भद्रोही, विजनौर, चित्रकूट, फैजाबाद, फरुखाबाद, जी०बी०नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सम्बल, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती एवं सुल्तानपुर।

उक्त समस्त जनपदों को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में 28 फरवरी, 2014 तक वांछित सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही संबंधित ढूड़ा)

### कांशीराम शहरी दलित बाहुल्य बरती

- उक्त योजना के अंतर्गत सामरत जनपदों को निरन्तर निर्देशित किया गया है कि उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि तत्काल सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अद्यतन निम्न जनपदों यू०सी०/धनराशि अवशेष है—
- जनपद—आगरा, बलिया, बाराबंकी, देवरिया, कानुपर देहात, लखनऊ, मैनपुरी, मेरठ, सोनभद्र एवं वाराणसी।

उक्त सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक प्रत्येक दशा में यू०सी०/धनराशि सूडा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।  
 (कार्यवाही संबंधित डूडा)

### आसरा योजना

- आसरा योजना के अंतर्गत जनपदों द्वारा प्रेषित डी०पी०आर० को सूडा के पत्र संख्या-3167/64/दस/2012-111, दिनांक 28.01.2014 के माध्यम से सभी जनपदों को प्रेषित डी०पी०आर० वर्ष 2013 के जारी प्लिन्थ एरिया रेट से गठित कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। इस संबंध में निम्न जनपदों से अभी तक संशोधित डी०पी०आर० प्राप्त नहीं हुई है-

जनपद का नाम	निकाय का नाम	आवासों की संख्या	कार्यदायी संस्था
झांसी	झांसी	120	सी० एण्ड डी०एस०
झांसी	एरच-1	144	सी० एण्ड डी०एस०
झांसी	एरच-2	84	सी० एण्ड डी०एस०
गोरखपुर	बड़हलगंज	228	सी० एण्ड डी०एस०
गोरखपुर	गोरखपुर	24	सी० एण्ड डी०एस०
बरेली	बरेली	264	सी० एण्ड डी०एस०
महाराजगंज	महाराजगंज	108	सी० एण्ड डी०एस०
महाराजगंज	महाराजगंज	136	सी० एण्ड डी०एस०
हापुड़	गढ़मुक्तेश्वर	108	सी० एण्ड डी०एस०
हापुड़	पिलखुआ	144	सी० एण्ड डी०एस०
बस्ती	हरैया	84	सी० एण्ड डी०एस०
मऊ	गोहाना	48	सी० एण्ड डी०एस०
फैजाबाद	अयोध्या	48	सी० एण्ड डी०एस०
फैजाबाद	अयोध्या	36	सी० एण्ड डी०एस०
फैजाबाद	अयोध्या	26	सी० एण्ड डी०एस०
गोण्डा	गोण्डा	264	सी० एण्ड डी०एस०
आजमगढ़	जीयनपुर	60	सी० एण्ड डी०एस०
औरैया	अटसू-1	252	सी० एण्ड डी०एस०
औरैया	अटसू-2	168	सी० एण्ड डी०एस०
चन्दौली	चन्दौली		सी० एण्ड डी०एस०

उक्त डी०पी०आर० वर्ष 2013 के प्लिन्थ एरिया रेट पर संशोधित कराकर अभी तक उपलब्ध नहीं करयी गयी है। निर्देशित किया गया कि दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही संबंधित डूडा/सी० एण्ड डी०एस०)

- आसरा योजनान्तर्गत जनपद—इलाहाबाद, हमीरपुर, अमरोह, मथुरा, रायबरेली, जौनपुर, बलिया, चित्रकूट, महोबा, प्रतापगढ़, हाथरस, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, शामली, मुजफ्फरनगर, अमेठी, फर्रुखाबाद, एटा, संतकबीरनगर, सम्मल, शाहजहाँपुर, भदोही एवं गाजीपुर से अभी तक निःशुल्क भूमि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है, के संबंध में निर्देशित किया गया कि संबंधित जनपद तत्काल निःशुल्क भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये डी०पी०आर० कार्यदायी संस्था के माध्यम से सूडा को उपलब्ध करायें।

  
 (कार्यवाही संबंधित डूडा)

## स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना

- कौशल प्रशिक्षण योजना (स्टेप-अप) के अंतर्गत जनपद मेरठ में अभी तक प्रशिक्षण कार्य प्रारम्भ न होने पर निर्देश दिये गये कि संबंधित परियोजना अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाय कि प्रशिक्षण कार्यक्रम अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ है तथा पत्रावली किस स्तर पर लम्बित है।

(कार्यवाही सूडा-उ०प्र०)

- कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रशिक्षण कार्य गुणवत्तापरक एवं स्वरोजगापरक होना चाहिए। यदि किसी भी जनपद से प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी जांच कराकर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। निर्देश दिये गये कि समस्त जनपदों को समय-समय पर सूडा द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम कराया जाय एवं इसका सत्यापन भी दिये गये निर्देशानुसार सुनिश्चित् कर सूडा को आख्या प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही समस्त ढूड़ा)

- शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (य००एस०ई०पी०) के अंतर्गत कुल निर्धारित भौतिक लक्ष्य 9400 के सापेक्ष 4596 की भौतिक प्रगति है जो कि लक्ष्य के सापेक्ष 59 प्रतिशत है एवं अल्पसंख्यक समुदाय हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1880 के सापेक्ष 1088 की प्रगति है जो लक्ष्य के सापेक्ष 57.87 प्रतिशत है।
- महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम (ऋण/अनुदान) (य००डब्ल्य००एस०पी०) के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 7325 के सापेक्ष 959 की भौतिक प्रगति है जो लक्ष्य के सापेक्ष 13 प्रतिशत है एवं अल्पसंख्यक समुदाय हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 1465 के सापेक्ष 183 प्रगति है जो लक्ष्य के सापेक्ष 12.49 प्रतिशत है।
- महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम (आवर्ती निधि) (य००डब्ल्य००एस०पी०) के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य 14650 के सापेक्ष 5038 की भौतिक प्रगति है जो लक्ष्य के सापेक्ष 34 प्रतिशत है एवं अल्पसंख्यक समुदाय हेतु निर्धारित भौतिक लक्ष्य 2930 के सापेक्ष 672 प्रगति है जो लक्ष्य के सापेक्ष 23 प्रतिशत है।

उक्त कार्यक्रमों की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि जनपद को उपलब्ध करायी गयी धनराशि का तत्काल नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित् कराते हुए लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही समस्त ढूड़ा)

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष लाभान्वित किये जाने के संबंध में दिनांक 11 फरवरी, 2014 को मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में समीक्षा की गयी जिसमें एस०जे०एस०आर०वाई० के उपघटक य००डब्ल्य००एस०पी० (ऋण/अनुदान) तथा य००डब्ल्य००एस०पी० (आवर्ती निधि) में प्रगति की स्थिति कम पायी गयी। इस संबंध में सूडा के पत्रांक-3588/241/एसजे०एसआरवाई०-एमआईएस/तीन/2001-iv दिनांक 14.02.2014 के माध्यम से समस्त जनपदों को उक्त घटकों में शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित् किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। समीक्षा में समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित् की जाय।

(कार्यवाही समस्त ढूड़ा)

- टाटा मोटर्स लिंग, लखनऊ द्वारा बैठक में टाटा इण्डिको/इण्डिका का उपयोग टैक्सी के रूप में करने हेतु प्रस्तुतीकरण किया गया। इस संबंध में अभिकरण द्वारा दिनांक 21.02.2014 द्वारा समस्त जनपदों को स्वरोजगार स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के उपघटक महिला स्वयं सहायता कार्यक्रम (ऋण/अनुदान) के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

(कार्यवाही समस्त छूड़ा)

- स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के विभिन्न घटकों में जनपदों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के संबंध में निर्देशित किया गया कि उपलब्ध धनराशि का शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार उपयोग सुनिश्चित कराते हुए इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा को उपलब्ध करायें। इस योजना के उपघटक नगरीय मजदूरी योजना जो कि अब समाप्त हो चुकी है, के अंतर्गत समीक्षा में पाया गया कि कतिपय जनपदों में अभी भी धनराशि उपलब्ध है। ऐसे जनपदों को निर्देशित किया गया कि वे दिनांक 10 मार्च, 2014 तक धनराशि का नियमानुसार उपयोग कर इसके उपयोगिता प्रमाण पत्र सूडा को प्रेषित करें।

(कार्यवाही—संबंधित छूड़ा)

### सामुदायिक केन्द्र एवं रैन बसेरा

- इस संबंध में समस्त जनपदों से जनपद में निर्मित सामुदायिक केन्द्र एवं रैन बसेरों की सूचना सूडा के पत्र संख्या—3007/27/तीन/2001(स्टेप—अप) दिनांक 07.01.2014 के माध्यम से मांगी गयी थी।
- समीक्षा में पाया गया कि उक्त के संबंध में जनपद—आगरा, अम्बेडकर नगर, औरैया, बागपत, बलिया, बाराबंकी, बिजनौर, इटावा, हमीरपुर, हापुड़, हाथरस, जालौन, कन्नौज, महाराजगंज, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, सहारनपुर, सम्बल, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, शामली, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती एवं सुल्तानपुर से अभी तक सूचना नहीं उपलब्ध करायी गयी है। इन जनपदों को निर्देशित किया गया कि दिनांक 25 फरवरी, 2014 तक प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही संबंधित छूड़ा छूड़ा)

### रिक्षा योजना

- पूर्व वर्षों से संचालित रिक्षा चालकों के लिए व्यवितरण दुर्घटना एवं निजी रिक्षा बीमा योजना के अंतर्गत वांछित बिन्दुवत् सूचना जनपदों से अप्राप्त होने की स्थिति को आपत्तिजनक बताया गया। यह निर्देश दिये गये कि समस्त परियोजना अधिकारी इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित कराये जाने का प्रयास किया जाय। यह भी निर्देश दिये गये कि संबंधित बीमा कम्पनी आई०सी०आई०सी०आई० लोन्चार्ड तथा जनपद में स्थित रिक्षा चालक एसोशिएशन के प्रतिनिधियों से गहन सम्पर्क कर अधिक से अधिक दावा प्रकरण निस्तारित किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय। इस हेतु विशेष प्रचार—प्रसार कर पंजीकृत लाभार्थियों को योजना के संबंध में जानकारी प्रदान की जाय।

(कार्यवाही—संबंधित छूड़ा)

- राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल मोटर/बैटरी चालित रिक्षा योजना के कियान्वयन के संबंध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—35, दिनांक 24.01.2013 के अनुपालन के अनुरूप पात्र निजी स्वामित्व रिक्षा चालकों की सूची 10 जनपदों यथा—कासगंज, संतकबीरनगर, भदोही, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सोनभद्र, सुल्तानपुर, ललितपुर, सिद्धार्थनगर एवं झांसी से अभी तक अप्राप्त होने के प्रति सचेत करते हुए निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह के अन्दर लाभार्थियों की सूची सूड़ा के संबंधित पटल को प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रश्नगत योजना के संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश एवं विभागीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा प्रेषित शासनादेश के अनुपालन में 20 प्रतिशत लाभार्थियों को मात्राकृत कर उनकी सूची जिन जनपदों से अभी तक प्रेषित नहीं की गयी है उसे सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सूड़ा को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही—संबंधित दूड़ा)

#### राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन (एन०य०एल०एम०)

- योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वांछित प्लान ऑफ एक्शन निर्धारित प्रारूप पर सूचना चाही गयी है। इस संबंध में जनपदों को प्रारूप प्रेषित कर दिनांक 10.02.2014 तक सूचना मांगी गयी थी। समीक्षा में संज्ञान में आया कि निम्न जनपदों द्वारा अभी तक निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है—  
 ➤ जनपद—आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, अमरोहा, औरैया, बागपत, बलिया, बांदा, बाराबंकी, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, जी०बी०नगर, गाजीपुर, गोण्डा, हमीरपुर, हाथरस, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानुपर देहात, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, सम्भल, संतकबीरनगर, शाहजहांपुर, शामली, सीतापुर, सोनभद्र, श्रावस्ती एवं सुल्तानपुर।

उक्त सभी जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2014 तक सूचना सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही—संबंधित दूड़ा)

#### आई०एल०सी०एस०

- योजनान्तर्गत वर्ष 2008 में जल प्रवाहित में परिवर्तित कराये गये शौलचायलों के सत्यापन की आख्या जनपद बरेली से आंशिक अप्राप्त है। जनपद बरेली के परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया कि दिनांक 25.02.2014 तक सत्यापन आख्या सूड़ा मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाय।
- योजनान्तर्गत वर्ष 2008 में जल प्रवाहित में परिवर्तित कराये गये शौलचायलों के सत्यापन में पायी गयी अनियमतता के संबंध में जनपदों को कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। समीक्षा में संज्ञान में आया कि जनपद बागपत, देवरिया, पीलीभीत एवं शामली की अनुपालन आख्या अभी तक अप्राप्त है। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में अनुपालन आख्या दिनांक 28.02.2014 तक सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही—दूड़ा बरेली)

(कार्यवाही—संबंधित दूड़ा)

- योजनान्तर्गत वर्ष 2008 में जल प्रवाहित में परिवर्तित कराये गये शौलचायलों के सत्यापन में पायी गयी कमियों के संबंध में जनपद—बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बागपत, देवरिया, गोरखपुर, पीलीभीत, मुजफ्फरनगर, शामली, कासगंज, फर्रुखाबाद, बरेली, चन्दौली, फैजाबाद, गौतमबुद्ध नगर, झांसी, सहारनपुर, मेरठ, रामपुर एवं सीतापुर से डिफाल्टर एन.जी.ओ. की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। संबंधित जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में निर्धारित प्रारूप पर सूचना दिनांक 26.02.2014 तक सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही—संबंधित ढूड़ा)

- अस्वच्छ शौचालयों की सर्वेक्षण आख्या के संबंध में सूड़ा के पत्र संख्या—3379/69/नौ /एन०पी०एस०(रिट) —111, दिनांक 31.01.2014 के माध्यम से सूचना मांगी गयी थी जो मात्र 19 जनपदों से ही प्राप्त हुयी है। इस संबंध में कड़े निर्देश दिये गये कि सभी जनपद प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2014 तक आख्या सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—संबंधित ढूड़ा)

#### स्लम सर्वे तथा एस०सी०एस०पी०

- स्लम सर्वे मद तथा एस०सी०एस०पी० के अंतर्गत जनपदों को उपलब्ध करायी गयी धनराशि के संबंध में निर्देशित किया गया कि वे तत्काल अवशेष उपयोगिता प्रामण पत्र अथवा अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 03 मार्च, 2014 तक सूड़ा मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही—संबंधित ढूड़ा)

#### बैलेन्स शीट

- वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 की जनपदों की बैलेन्स शीट सनदी लेखाकारों द्वारा तैयार कर सूड़ा को उपलब्ध करायी गयी है किन्तु निम्न जनपदों से जिलाधिकारी/अध्यक्ष, ढूड़ा के हस्ताक्षर प्राप्त न होने के फलस्वरूप बैलेन्स शीट अप्राप्त की रिथति में है—  
➤ जनपद—मैनपुरी, मथुरा, मऊ, बौदा, गोण्डा, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, रामपुर एवं मुजफ्फरनगर।

उक्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में दिनांक 28.02.2014 तक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, ढूड़ा के माध्यम से बैलेन्स शीट सूड़ा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।


(कार्यवाही—संबंधित ढूड़ा)

#### उक्त के अतिरिक्त बैठक में निम्नलिखित निर्देश भी दिये गये —

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि ढूड़ा द्वारा कराये जा रहे कार्यों की ओवर लैपिंग अर्थात् दूसरे विभाग द्वारा भी वही कार्य कराया जाय, ऐसा न होना सुनिश्चित किया जाय। यह भी निर्देशित किया गया कि कार्य प्रारम्भ कराये जाने से पहले जिलाधिकारी/अध्यक्ष, ढूड़ा के माध्यम से इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि किसी अन्य योजना में कार्य नहीं कराया गया है।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि ढूड़ा द्वारा जनपद में कराये जाने वाले कार्यों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय और इस संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त न हो अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि सूडा द्वारा समय-समय पर निर्गत होने वाले आदेश व मांगी जानी वाली सूचना सूडा की वेबसाइट [www.sudaup.org](http://www.sudaup.org) पर उपलब्ध रहती है। अतः सूडा की वेबसाइट प्रति दिन देखें व वांछित सूचना समय से भेजें। यह भी निर्देशित किया गया कि कम्प्यूटर का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अतः सभी अधिकारी व कर्मचारी कम्प्यूटर सीखें ताकि सूचना के आदान प्रदान में सुगमता रहेगी।
- समस्त जनपदों को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक कार्यवृत्त की अनुपालन आख्या प्रत्येक दशा में 15 दिन के अन्दर सूडा को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही-समस्त सूडा)



(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक


### राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उत्तर प्रदेश

पत्रांक—3822/110/तीन/१७-IV

दिनांक—26-02-14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु —

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
2. निदेशक, सी एण्ड डी0एस0, जल निगम, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0पी0सी0एल, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0आर0एन0एन0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0के0एन0एन, लखनऊ।
6. सूडा के समस्त अधिकारीगण व समस्त पटलप्रभारी को अनुपालनार्थ।
7. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।



(श्रीप्रकाश सिंह)  
निदेशक